barian

1.839

ु संख्या -1/3/98—का प्रसको/1999

Б.

डा**ं** योगेन्द्र नारायण मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

Sistemettedfor tall

Information.

Dar Degrata

May keep on

Des Company

एवा में, समस्त प्रमुख सचिव

पुष सिंचव/सिंचवित्र किंग्सिंच किंग्

लखन्कः दिनांक 14 जून, 1999

विषयः - विदेश प्रशिक्षणः विदेश सेवायोजनः गोष्ठीः सेमीनारः तथा व्यक्तिगतः कार्यो से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवड़ों को अनुमति प्रदान किया जाना

20.8.43

कार्मिक विभा प्रशिक्षण सम महोदय,

विदेश सेवायोजन, विदेश प्रशिक्षण, विदेशों में आयोजित सेमीनार/विचार गोष्ठी/सम्मेलन/ सिम्पोजियम/ स्कालरशिप/फेलोशिप/विदेश प्रतिनियुक्ति एवं व्यक्तिगत कार्यों से विदेश यात्रा किये जाने की नीति से सम्बन्धित पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अवक्रियत करते हुए, उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :—

1—विदेश सेवायोजन

विदेश सेवायोजन हेतुःप्राप्तः होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्नों की अग्रसारित करने एवं उन पर अनुमति प्रदान करने से पूर्व निम्निलेखित बिन्दुओं के आधार पर प्रकरणों का परीक्षण किया जाय

- (1) केवल ऐसे सरकारी सेवंकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित किए जाय, जो 05 वर्ष या उससे अधिक अवधि में सेवारत हों, और जिन्हें सम्बन्धित विषय की विशिष्टता में कम से कम 03 वर्ष का
- (2) ऐसे तरकारी सबकों के आवेदन-पत्र अग्रसारित न किए जाय, जिनके विरुद्ध ततर्कता/प्रशासनाधिकरण/विभागीय जांच लिखत हो, अथवा जिनके विरुद्ध उक्त में से कोई जांच किए जाने का निर्णय ते लिया गया हो।
- (3) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन-एत्र अग्रसारित किए जाय जिनके धारणाधिकार मूल विभाग में बनाये रखना सन्भव हो।
- विभाग म बनाय रखना सम्भव हो। (4) केवल ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन पत्र अग्रसारित किए जाय जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (यदि कोई हो) पर प्रस्तुत किये गये हों।

🏏 🥕 जनुमोदन का स्तर-

उपर्युक्तानुसार प्रितिषण करने के उपरान्त विदेश सेवायोजन से संचन्धित आवेदन-पत्रों के अग्रसारण हेतु विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव विभागीय मंत्री एवं मार्ठ मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। 2—विदेश प्रतिनियुक्ति—

विदेश सेवायोजन के त्यान पर विदेश में प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले सरकारी सेवकों के आवेदन-पत्रों का परीक्षण उपयुक्त प्रतार-1 के प्राविधानों के अनुसार करते हुए, उक्त प्रसार के अनुसार ही सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। विदेश में प्रतिमियुक्ति की अधिकतम अवधि 05 वर्ष होगी, उपत अवधि के समाप्त होने के 06 माह पूर्व सम्बन्धित सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति से वापस जाने की कार्यकारी प्राप्त कर दी जाय।

4 2 JUL 1999

8. B.S. C5

240 mm 25/8/96)

•

(Se

—विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण सेमीनार, विचार गोष्ठी, स्टडी ट्रूर सिन्पोजियम, वर्कशाप एवं स्कालरशिष/ फैलोशिप आदि में नामांकन/मांग लेना:-

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत विशिष्ट झान रखने वाले सरकारी रिक्नि को विदेशों में आयोजित सेमीनार एवं गोष्टियों आदि के लिए नामित किया जाता है। साथ ही ताथ अन्य विदेश सरकारों द्वारा भारत के लब्धप्रतिष्ठ वैद्यानिकों, चिकित्सकों, कलाकारों आदि को समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे समस्त कार्यक्रमों हेतु नामित किए जाने वाले सरकारी सेवकों के सन्वन्य में निन्निलिखित मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का पोलन करने के उपरान्त ही उनका नामांकन/आवेदन-पत्र अग्रसारित किया जाय:—

- (1) दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक की आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों में एक वर्ष अर्थात् 46 वर्ष की आयु तीमा तक शिथिल किया जा सकता है किन्तु उक्त शिथिलीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग को यह प्रमाण देना होगा, कि सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु निर्धारित किन्तु उक्त शिथिलीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग को यह प्रमाण देना होगा, कि सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु निर्धारित आयु सीमा के अधिकारी या तो उपलब्ध नहीं हैं, अथवा नामित किए जाने वाले अधिकारी अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त हैं।
- (2) लघु अविध के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 50 वर्ष तक की आयु के सरकारी सेवकों को नामित किया जाय।
- (3) यदि किसी प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम में सम्बन्धित विदेश सरकार/संस्था द्वारा कोई मिन्न आयु-सीमा निर्धारित की गयी है, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।
  - (4) कम से कम 09 वर्ष की सेवाविध पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों के ही नामांकन किए जांच
- (२) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जांय ज़िन्हें संबंधित क्षेत्र / विषयवस्तु का समुचित ज्ञान
  - नोट:-(1), 30 दिन तक की अवधि के कार्यक्रमों को लुगु अवधि के कार्यक्रम तथा 30 दिन से अधिक अवधि के कार्यक्रमों को दीर्घकालीन कार्यक्रम माना जायेगा।
    - (2) 15 दिन से कप अवधि के कार्यक्रमों में नामांकन हेतु 50 वर्ष की आयु-सीना लागू नहीं होगी।
- (6) ऐसे सरकारी सेवकों के नाम संस्तुत न किए जाय, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच/ प्रशासनाधिकरण जांच/ अनुशासनिक कार्यवाही लिन्नित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो। ऐसे सरकारी सेवकों के भी, नाम संस्तुत न किए जांय, जिनके सम्पूर्ण सेवाभिलेख निम्न स्तर के रहे हों, अथवा जिन्हें गम्भीर प्रकृति की प्रतिकृत प्रविष्टि प्रदान की गयी हो।
- (7) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने पूर्व में एक माह अयवा इससे अधिक अवधि का विदेश प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को पुनः एक माह से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित न किया जाय। यद्यपि ऐसे सरकारी सेवकों को एक माह से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किये जाने पर विचार किया जा
- (8) ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने पूर्व में अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करा कर, विदेश प्रशिक्षण आदि में भाग लिया हो, को पुनः विदेश प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- (9) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों के विदेश प्रशिक्षण आदि में नामित किए जाने पर तभी विचार किया जाय, जब उक्त सरकारी सेवक द्वारा लिये गये प्रशिक्षण की उपयोगिता उस विभाग को मिलने की सन्भावना हो, और कम से कम दो वर्ष तक उक्त सरकारी सेवक के प्रतिनियुक्ति पर भी बने रहने की सन्भावना हो।
- (10) भिन्न-भिन्न श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भिन्न-भिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के नामांकन किए जांय, ताकि प्रत्येक स्तर के सरकारी सेवक को प्रशिक्षित कराया जा सके।
- (11) विदेश प्रशिक्षण आदि में नामांकन करने से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जाय, कि उक्त प्रशिक्षण, की सुविधा देश में उपलब्ध नहीं है, अथवा किसी अन्य कारण से उक्त विदेश प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है।
- (12) नामांकन करते समय जनुसूचित जाति/जनजाति/जन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य आरक्षित वर्ग के उपयुक्त सरकारी सेवकों की पात्रता पर भी भली-माति विचार किया जाय।
- (13) यदि सम्बन्धित कार्यक्रम पर राज्य सरकार द्वारा व्यय-मार बहुन किया जाना प्रस्तावित हो, तो प्रस्ताव पर उच्चानुमोदन प्राप्त करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति अवश्य प्राप्त की जाय।

Coct. 1011

(14) स्वायत्तशासी निकायों एवं निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यस्त सरकारी सेरकों के विदेश प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम पर यदि सम्बन्धित निगम आदि के द्वारा ही व्यय-भार वहन किया जाना प्रस्तावित हो, तो ऐसे प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यह अवश्य सुनिश्चित कर निया जाय, कि सम्बन्धित निगम उक्त व्यय-भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

## अनुमोदन का स्तर-

- (1) उपर्युक्तानुसार परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित विभागों द्वारा प्रस्ताव पर सीधे विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमीदन प्राप्त किया जाय।
- (2) भारतीय प्रशासनिक तेवा (आई० ए० एस०) एवं प्रादेशिक सिविल सेवा (पी० सी० एस०) के अधिकारियों से संबंधित प्रस्तावों पर नियुक्ति विभाग द्वारा मुख्य सचिव एवं मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
- (3) किसी प्रविधान को अपरिहार्य परिस्थितियों में शिथिल किये जाने का प्रस्ताव होने पर प्रकरण की विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव के अनुमोदनपरान्त कार्मिक विभाग को संदर्भित किया जाय, जो मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त कर, प्रस्ताव प्रशासकीय थिभाग को वापस करेंगे, तथा कार्मिक विभाग द्वारा शिथिलीकरण पर सहमति प्रदान किए जाने की स्थिति में प्रस्ताव पर विभागीय सचिव/प्रमुख सचिव, विभागीय मंत्री एवं मां० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

### 4—विदेश सेदायोजन, प्रतिनियुक्ति एवं विदेश प्रशिक्षण आदि हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया -

- (1) विदेश प्रशिक्षण आदि की अनुमित प्रदान करते समय विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि संबंधित सरकारी सेवक ने किसी विदेशी संस्था अयवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सीधे ही उक्त निमंत्रण प्राप्त तो नहीं कर लिया है? सीधे निमंत्रण प्राप्त करना शासन की नीति के विपरीत है, अतः ऐसे प्रकरणों का भली मांति परीक्षण करने के उपरान्त ही उन पर अनुमोदन प्रदान करने की कार्यवाही की जाय।
- (2) विदेश सेवायोजन/प्रतिनियुक्ति तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में आवेदन करने की तिथि समीप होने की स्थित में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा संबंधित संस्था/संगठन को सीधे आवेदन पत्र (अग्रिम प्रति के रूप में) भेजा जा सर्कता है, किन्तु संबंधित सरकारी सेवक का यह दायित्व होगा, कि वह अपने विभाग के माध्यम से भी आवेदन पत्र का अग्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करे।

## 5—निजी कार्य/निजी व्यय पर विदेश यात्रा –

यदि कोई सरकारी संवक अपने व्यय-पर, नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर, निजी कार्य से यथा-विदेश में अयात कर रहे अपने संबंधी ते मिलने, उपचार कराने एवं पर्यटन आदि के उद्देश्य से विदेश जाना चाहता है, तब भी देश एवं प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न निहित होने के कारण निम्न मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय

- (1) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो, तो उसकी व्यक्तिगत विदेश यात्रा के संबंध में, समस्त तथ्यों की ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाय।
- (2) ऐसे सरकारी सेवक को अनुमति प्रदान न की जाय, जिसके विदेश जाने से भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी द्विविधा की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
- (3) ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमित प्रदान न की जाय, जिन्हें इससे पूर्व अनापित प्रमाण-पत्र देना अस्वीकृत कर दिया गया हो और उक्त अस्वीकृति का आधार अभी विद्यमान हो।
- (4) विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय, कि संबंधित सरकारी सेवक इससे पूर्व कब तथा किस प्रयोजन से विदेश यात्रा पर गया था।

#### अनुभोदन का स्तर-

- (1) ऐसे सरकारी सेवक जिनके सेवाभिलेख विभागाध्यक्ष कार्यालयों में रखे जाते हैं, को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।
- (2) जिन सरकारी सेवकों के सेवामिलेख शासन स्तर पर रखे जाते हैं को विमागीय सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा अनुमति प्रदान की जाय।

- (3) आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारियों को नियुक्ति विभाग द्वेत्रा मुख्य सचिव को अनुमीदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जाय। नौट—विदेश यात्रा के लिए पासपीर्ट निर्गत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कार्यवाही भी उपर्युक्तानुसार हा
- (2) विदेश सेवायोजन, विदेश प्रतिनियुक्ति, विदेश प्रशिक्षण एवं निजी कार्य से विदेश यात्रा के प्रकरणों पर शासन मवदीय, मवदीय, डा० योगेन्द्र नारायण, मृख्य सनिन्द द्वारा निर्गत उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

# . संख्या 1/3/98 (1)-का प्रसको/1999, तद्दिनांक

- प्रतितिलिप, निम्निलिखत को सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

  - 1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
    2—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
  - -सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

From, Shaileshwar Nath Singh Additional District & Sessions Judge SiddharthNagar. To, The Registrar General High Court of Judicature at Allahabad. Through: The District Judge, Siddharath nagar. Issuance of 'Identity certificate' for obtaining passport. **Subject:** Sir, It is humbly submitted that there may be a passibility for me to visit abroad in future due to some need and , therefore, I want to obtain passport for myself, for which 'Identity certificate' is required from the Hon'ble court as per passport rules. My dependents are Mrs. Neetu Singh (wife) and Miss Nutan Patel (daughter). I am enclosing here with four passport size photograghs of mine and required affidavir in connection with declarations as per G.O. And section 6 (2) of passport rules. It is therefore requested Kindly to place my application before the Hon'ble Court for issuance of 'Identity Certificate' in my favour for obtaining passport. For which I shall be highly obliged.

Date: 07-01, 2016

Encl:

JAN Forthphotographs


and affidavit.

Your's faithfully

**Additional District Judge** 

Siddharth nagar.

**ावास्य** अन्यद न्यागाधात्रा — सिद्धावन्यः रची 16 / XV दिनांक, सिद्धार्थनगर



Affidavit

Before Registrar General Hon'ble High Court Judicature At Allahabad

Affidavit on hehalf of Shaileshwar nath Singh Additional Dist Judge Siddharath nagar The deponent above named do hereby sofemaly affirm and state on oath as under:-

That the deponent is a citizen of India.

what the deponent may not or is not likely to engage outside INDIA

That the departure of deponent from INDIA may not or is not likely to be detrimental to the security of INDIA.

That the presence of the deponent outside INDIa may not or is not likely to prejudice the Friendly relations of INDIA with any foreign Country.

That the deponent has at any time during the period of five years immediatelty preceding the date of his application not being convicted by a Court in INDIA for any offence involving turbitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years.

212101 - Not 12016

OTARY-SIDUMACAR

U.R. DIVIDIA

OTARY-SIDUMACAR

U.R. DIVIDA

Reg.d. No. 43 (44) 2008

05

1

5-1-16 the sty of their कार का मान मान में जो के वा का का का कि ही या जा जा

- That proceedings in respect of any offence alleged to have not been 06 committed by the deponent before a criminal Court of INDIA.
- 07 That a warrant of summons for the appearance or a warrant for lthe arrest of the deponent has not been issued by a Court under any Law for lkthe time being in force or that an order prohibiting the deponent from INDIA of the deponent hasd not been made by any such Court.
- That the deponent has not been repatriated. 80

09

ADVOCATE OTARY-SIDITHARTHNAGAR

DIST' SIDDHARTHNAGAR UPINTA

Regd. No. 43 (44) 2008

That there is no possibility of arising embarrassing position before the Govrtment of U.P. Due to my visit to any foreign Country.

That issuance of IDENTITY CERTIFICATE for obtaining a pasport was never refused to me.

That I have not visited any foreign country till now,

That the contents of the paras No.1 to 11 are true to the best of my knowledge and belief and no part has been shown wrong nor any fact has been concealed. So help me God.

haileshwar Nath Singh) 07-01-2-016

Aditional District Judge

Siddharth nagar.

summity affirmed/swered to day to 7 1.16 . Jefore me by Shaileshwar Nath Sing ( 3/0 Sm Frem Sings....who is Identified 

NOTARY-SIDDIA.

NOTARY SICOHARTHNAGAR DISTT.-SIDDHARTHNAGAP

II. P - INDIA

From,

Shaileshwar Nath Singh Additional District & Sessions Judge SiddharthNagar. 80;101

To,

The Registrar General
High Court of Judicature at

Allahabad.

Through:

The District Judge, Siddharath nagar.

Subject:

Issuance of 'Identity certificate' for obtaining passport.

Sir,

It is humbly submitted that there may be a passibility for me to visit abroad in future due to some need and, therefore, I want to obtain passport for myself, for which 'Identity certificate' is required from the Hon'ble court as per passport rules. My dependents are Mrs. Neetu Singh (wife) and Miss Nutan Patel (daughter). I am enclosing here with four passport size photograghs of mine and required affidavit in connection with declarations as per G.O. And section 6 (2) of passport rules.

It is therefore requested Kindly to place my application before the Hon'ble Court for issuance of 'Identity Certificate' in my favour for obtaining passport. For which I shall be highly obliged.

Date: 67.01.2016

**Encl:** 

Four photographs

and affidavit.

Your's faithfully

(Shaileshwar Nath Singh)

**Additional District Judge** 

Siddharth nagar.

2010 16/XV E

11-01-2016

जिंद भ्वाधापार

हिल्लिविवयर ॥ ।।। ८



THE PRADESH

69AC 379286

Affidavit

<u>Before Registrar General Hon'ble High Court Judicature At Allahabad</u>

Affidavit on hehalf of Shaileshwar nath Singh Additional Dist Judge Siddharath nagar The deponent above named do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

That the deponent is a citizen of India.

What the deponent may not or is not likely to engage outside INDIA Finactivities prejudicial to the sovereignty and integrity of INDIA.

That the departure of deponent from INDIA may not or is not likely to be detrimental to the security of INDIA.

That the presence of the deponent outside INDIa may not or is not likely to prejudice the Friendly relations of INDIA with any foreign Country.

That the deponent has at any time during the period of five years immediatelty preceding the date of his application not being convicted by a Court in INDIA for any offence involving turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years.

2101-2016 2101-2016

05

1

06

07

HARTHNAGAR

DIST' SIDIHAR

U P. INT 121 4 No. 43 (44) 2008 That proceedings in respect of any offence alleged to have not been committed by the deponent before a criminal Court of INDIA.

That a warrant of summons for the appearance or a warrant for lithe arrest of the deponent has not been issued by a Court under any Law for lithe time being in force or that an order prohibiting the deponent from INDIA of the deponent hasd not been made by any such Court.

That the deponent has not been repatriated.

That there is no possibility of arising embarrassing position before the Govrtment of U.P. Due to my visit to any foreign Country.

That issuance of IDENTITY CERTIFICATE for obtaining a possport was never refused to me.

That I have not visited any foreign country till now,

knowledge and belief and no part has been shown wrong nor any fact has been concealed. So help me God.

Shaileshwar Nath Singh) 07-01-2-016 Additional District Judge

Siddharth nagar.

7.1.16

petore me by Sharle Phusan Nath Shy (
1050 Preto Sing who is identified
by Sil Self Advocat

NOTARY-SIDD.IA., TINAGA DISTT.-SIDDHART HNAGA

INDU RUMAR SINGI

NOTARY SICOHARTHNAGAR OISTT.-SIDDHARTHNAGAR

Qeg-104